

2015 का विधेयक संख्यांक 151

[दि निगोशिएबल इन्सटूर्मेंट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2015 का हिन्दी अनुवाद]

परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

**का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक**

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।
- (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत

करे :

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

2. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया 10 है) की धारा 6 में--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

धारा 6 का संशोधन।

(i) स्पष्टीकरण 1 में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा,
अर्थात् :—

‘(क) “इलेक्ट्रॉनिक रूप में चेक” से किसी कंप्यूटर साधन का उपयोग करके
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लिखा गया और डिजीटल चिह्नक (जैवभित्ति चिह्नक सहित
या उसके बिना) तथा, यथास्थिति, असमिति गूढ़ प्रणाली या इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक ५
की किसी सुरक्षित प्रणाली में हस्ताक्षरित चेक अभिप्रेत है ;’;

(ii) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा,
अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण 3—इस धारा में प्रयुक्त पदों का वही अर्थ होगा, जो सूचना
प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में उन पदों का है ।”

10 2000 का 21

धारा 142 का
संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 142 को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया
जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की
जाएगी, अर्थात् :—

“(2) धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध की जांच और विचारण, केवल किसी ऐसे
न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर पाने वाले की वह बैंक 15
साखा, जहां पाने वाला संदाय के लिए चेक प्रस्तुत करता है, स्थित है ।”

4. मूल अधिनियम की धारा 142 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी,
अर्थात् :—

“142क. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, 1974 का 2
डिक्री, आदेश या निदेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परक्राम्य लिखत (संशोधन) 20
अधिनियम, 2015 के प्रारंभ से पहले धारा 138 से उद्भूत होने वाले सभी ऐसे मामले, जो
किसी न्यायालय में लंबित थे, चाहे उसके समक्ष फाइल किए गए हों या उसको अंतरित
किए गए हों, धारा 142 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को
इस प्रकार अंतरित किए जाएंगे मानो वह उपधारा सभी तात्कालिक समयों पर प्रवृत्त थी ।

(2) धारा 142 की उपधारा (2) या उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए 25
भी, जहां सम्यक् अनुक्रम में, यथास्थिति, पाने वाले या धारक ने, धारा 142 की उपधारा (2)
के अधीन अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में किसी चेक के लेखीवाल के विरुद्ध परिवाद
फाइल किया है या उपधारा (1) के अधीन मामला उस न्यायालय को अंतरित किया गया है,
तो उसी लेखीवाल के विरुद्ध धारा 138 से उद्भूत होने वाले सभी पश्चात्वर्ती परिवाद, इस
बात पर विचार किए बिना कि क्या वे चेक संदाय के लिए उस न्यायालय की क्षेत्रीय 30
अधिकारिता के भीतर प्रस्तुत किए गए थे, उसी न्यायालय के समक्ष फाइल किए जाएंगे ।

(3) यदि परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारंभ की तारीख को
उसी व्यक्ति द्वारा चेकों के उसी लेखीवाल के विरुद्ध फाइल किए गए एक से अधिक
अभियोजन भिन्न-भिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं, तो न्यायालय के नोटिस में उक्त तथ्य
लाए जाने पर, ऐसा न्यायालय धारा 142 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारिता रखने वाले 35
ऐसे न्यायालय को, जिसके समक्ष पहला मामला फाइल किया गया था, मामला इस प्रकार
अंतरित कर देगा, मानो वह उपधारा सभी तात्कालिक समयों पर प्रवृत्त थी ।

नई धारा 142क
का अंतःस्थापन ।

लंबित मामलों के
अंतरण का
विधिमान्यकरण ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 वचनपत्रों, विनिमय पत्रों और चेकों से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। बैंककारी, लोक वित्तीय संस्था और परक्राम्य लिखत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1988 द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) में 1 अप्रैल, 1989 से धारा 138 से धारा 142 को समाविष्ट करते हुए एक नया अध्याय 27 अंतःस्थापित किया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 138 में चेक के लेखीवाल के खाते में निधियों की अपर्याप्तता के कारण चेक के अनादरण के मामले में शास्त्रियों का उपबंध है।

2. चूंकि उक्त अधिनियम की धारा 138 से धारा 142 में चेकों के अनादरण के संबंध में कभी पाई गई थी, इसलिए परक्राम्य लिखत (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 2002 द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ धारा 138, धारा 141 और धारा 142 का संशोधन किया गया और उक्त अधिनियम में धारा 143 से धारा 147 तक नई धाराएं अंतःस्थापित की गईं, जिसका उद्देश्य चेकों के संक्षिप्त विचारण के माध्यम से उनके अनादरण से संबंधित मामलों के त्वरित निपटारे के साथ-साथ उन्हें समनीय बनाना था। धारा 138 के अधीन उपबंधित दंड को भी एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष किया गया था। इन विधायी सुधारों का उद्देश्य चेक के उपयोग को प्रोत्साहित करना और लिखत की विश्वसनीयता में वृद्धि करना था, जिससे सामान्य कारबार संव्यवहार और दायित्वों के परिनिर्धारण को सुनिश्चित किया जा सके।

3. उच्चतम न्यायालय ने तारीख 1 अगस्त, 2014 के अपने निर्णय, दशरथ रूपसिंह राठौड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2009 की दांडिक अपील संख्या 2287) में यह अभिनिर्धारित किया कि चेक के अनादरण के लिए क्षेत्रीय अधिकारिता उस न्यायालय तक निर्बंधित है जिसकी अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया था, जिसका वर्तमान संदर्भ यह है कि जहां चेक उस बैंक द्वारा अनादरित हुआ, जिस पर यह लिखा गया है, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि केवल उन मामलों में, जहां समन किए जाने और अभिकथित अभियुक्त की उपस्थिति के पश्चात् साक्ष्य का अभिलेखन प्रारंभ कर दिया गया है, वहां, जैसा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 145(2) में परिकल्पित है, उसी स्थान पर कार्यवाहियां जारी रहेंगी। सभी अन्य परिवाद (जिनके अंतर्गत वे भी हैं, जहां अभियुक्त/प्रत्यर्थी को समुचित रूप से तामील नहीं किया गया है) उच्चतम न्यायालय द्वारा यथा अवधारित विधि के अभिदर्शन के सामंजस्य से परिवादी को समुचित न्यायालय में फाइल करने के लिए वापस कर दिए जाएंगे।

4. उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में विभिन्न पण्डारियों ने, जिसके अंतर्गत औद्योगिक संगम और वित्तीय संस्थाएं भी हैं, सरकार को अभ्यावेदन किए हैं, जिनमें इस निर्णय के व्यापक समाधात से संबंधित चिन्ताएं व्यक्त की है, क्योंकि इससे व्यथित परिवादी के खर्च पर व्यतिक्रमियों को असम्यक् संरक्षण मिलेगा; ‘किसी भी स्थान पर संदेश चेकों’ के प्रचलन/धारणा को पूर्णतः समाप्त कर देगा और इससे सीटीएस (चेक ट्रैकेशन सिस्टम) के प्रस्तुतीकरण से चेक समाशोधन की वर्तमान वास्तविकताओं की अवज्ञा होगी, जहां चेक का समाशोधन केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्केन इमेज के माध्यम से होता है और चेक को जारी करने वाली शाखा (ऊपरवाल बैंक शाखा) को चेक भौतिक रूप से प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होता बल्कि ऊपरवाल की सेवा शाखा और पाने वाले के बैंक के बीच परिनिर्धारित होता है; विभिन्न स्थानों पर बैंकों के लिए लिखे गए कई चेकों को समाविष्ट करने वाले मामलों की बहुलता को बढ़ाएगा और इसका अनुसरण करना, समग्र भारत में फैले ग्राहकों के साथ एकल द्वारी अभिकरण के लिए अव्यवहार्य है।

5. उक्त अधिनियम की धारा 138 के अधीन मामले फाइल करने के लिए पाने वाले या धन उधार देने वाले द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों पर ध्यान देने के लिए, जिसके कारण बड़ी संख्या में मामले अटके हुए हैं, धारा 138 के अधीन के अपराध के लिए अधिकारिता को स्पष्ट:

परिभाषित किया गया है। परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015 में निम्नलिखित के लिए उपबंध हैं, अर्थात् :—

- (i) केवल ऐसे न्यायालय में मामले फाइल करना, जिनकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर पाने वाले की वह बैंक शाखा स्थित है, जहां पाने वाला संदाय के लिए चेक प्रस्तुत करता है ;
 - (ii) यह नियत करना कि जहां अधिकारिता की नई स्कीम के अधीन अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में किसी चेक के लेखीवाल के विरुद्ध कोई परिवाद फाइल किया गया है, वहां उक्त अधिनियम की धारा 138 से उद्भूत उसी लेखीवाल के विरुद्ध सभी पश्चात्वर्ती परिवाद उसी न्यायालय में इस बात पर विचार किए बिना फाइल किए जाएंगे कि क्या वे चेक संदाय के लिए उस न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर प्रस्तुत किए गए थे ;
 - (iii) यह नियत करना कि यदि चेकों के उसी लेखीवाल के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों के समक्ष एक से अधिक अभियोजन फाइल किए गए हैं, तो उक्त तथ्य को न्यायालय के नोटिस में लाने पर न्यायालय मामले को अधिकारिता की नई स्कीम के अनुसार अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को अंतरित कर देगा ; और
 - (iv) उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन “इलेक्ट्रॉनिक रूप में चेक” पद के अर्थ से संबंधित स्पष्टीकरण 1 का संशोधन करना, क्योंकि उक्त अर्थ में कभी पाई गई है क्योंकि यह किसी भौतिक चेक के लिखने की उपधारणा करता है, जो “इलेक्ट्रॉनिक रूप में चेक” तैयार करने का उद्देश्य नहीं है और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में अंतर्विष्ट पदों का संदर्भ देते हुए उक्त धारा में एक नया स्पष्टीकरण 3 अंतःस्थापित करना ।
6. यह प्रत्याशित है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के प्रस्तावित संशोधन यह सुनिश्चित करने में सहायत होंगे कि चेकों के अनादरण के मामलों का विचारण करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारिता को स्पष्ट करके परिवादी के हितों को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 138 के अधीन मामलों का निष्पक्ष विचारण किया गया है ।
7. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
25 अप्रैल, 2015

अरुण जेटली

उपाबंध

परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम संख्यांक 26) से उद्धरण

चेक ।

6.

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजन के लिए—

(क) “इलेक्ट्रानिक रूप में चेक” पद से ऐसा चेक अभिप्रेत है जिसमें पेपर चेक का सही दर्पण प्रतिरूप अंतर्विष्ट है और जो डिजीटल चिह्नक (जैवमिति चिह्नक सहित या उसके बिना) तथा असमिति गूढ़ प्रणाली के उपयोग से न्यूनतम सुरक्षा मानदंडों को सुनिश्चित करते हुए एक सुरक्षित प्रणाली में उत्पादित, लिखित और हस्ताक्षरित है ;

*

*

*

*

*

*